import quantity of used/retreaded tyres during 1996-97 was 2734 in number and it was 12676 in number during April 1997-February 1998*. It may not be possible to estimate the quantity of import of used tyres during 1998-99 at this stage. Import of new and used tyres was made free with effect from 1.4.1997. Steps have since been taken to prevent unrestricted import of used tyres in the manner stated above.

Drug Consumption in the Country

*475. SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the warning made by the International Narcotics Control authorities that two per cent of the Indian population is already hooked on the opiates;

(b) if so, whether any national survey has been conducted to accurately determine the level of drug consumption in India;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) to (d) No national survey has been conducted but a nation-wide study by sponsoring projects in 33 selected cities/towns and border areas was undertaken in 1990. The main findings include inter-alia prevalence of addiction in varying degrees among all sections of the society with age group between 16 to 35 years being worst affected. Further the findings indicate that certain sections of society such as transport workers, commercial sex workers, unemployed youth, students, labourers and slum dwellers are vulnerable to drug addiction.

असंगठित श्रम-शक्ति का संरक्षण

*476. श्री बरजिन्दर सिंह:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में संगठित श्रम शक्ति की तुलना में असंगठित श्रम शक्ति की मात्रा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो संगठित और असंगठित श्रम शक्ति संबंधी आंकलन क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में असंगठित श्रम शक्ति की आर्थिक दशा दयनीय है और वे शोषण से पीड़ित हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या इस असंगठित श्रम शक्ति को संरक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) 286 मिलियन के कुल श्रम बल में से लगभग 27 मिलियन संगठित क्षेत्र में हैं और 259 मिलियन असंगठित क्षेत्र में हैं।

(ग) और (घ) 'असंगठित' शब्द का अर्थ किसी विशेष श्रेणी से नहीं है अपितु उन सभी कामगारों के लिए है जिनका अपनी संख्या के कारण (या तो बहुत अधिक अथवा बहुत कम) कोई संगठन नहीं होता, जो सुदूरवर्ती और बिखरे क्षेत्रों में फैले होते हैं, और जिनके पास शिक्षा, जागरूकता तथा व्यवसाय संघ कार्यकलापों का अभाव होता है। अतः संगठित और असंगठित कामगारों की कार्य परिस्थितियों की तुलना कर पाना कठिन है।

(ङ) संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों और उनके कल्याण के संरक्षण के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। ऐसे कुछ कानून हैं:— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें)